2024/224

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अकाराम बंजारा पुत्र श्री समाराम निवासी राजपुरा बालदा तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 40 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
28.08.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 13.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की परिवेदना दिनांक 25.02.2024 रेकर्ड के विरूद्ध मनगढंत व मनमर्जी के तथ्य लिखकर जांच करने एवं दुर्भावना, बदनियती व पूर्वाग्रह से अपीलांट के विरूद्ध करवाई गई जांचों में पद व प्रभाव का दुरूपयोग कर मानसिक प्रताडित करने से जांच में डॉ. भास्कर विश्नोई तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही, श्री रविप्रकाश उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा व श्री मोहनलाल तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा से हटकर जांच करने व मानवीय अधिकारों के हनन व मेरी छवि को धूमिल कर मुझे असहनीय प्रताडना देने की जांच कर न्याय दिलाने व आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् प्रार्थना पत्र पर की गई जांच की जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 13.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की परिवेदना दिनांक 25.02.2024 रेकर्ड के विरूद्ध मनगढंत व मनमर्जी के तथ्य लिखकर जांच करने एवं दुर्भावना, बदनियती व पूर्वाग्रह से अपीलांट के विरूद्ध करवाई गई जांचों में पद व प्रभाव का दुरूपयोग कर मानसिक प्रताडित करने से जांच में डॉ. भास्कर विश्नोई तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही, श्री रविप्रकाश उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा व श्री मोहनलाल तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा से हटकर जांच करने व मानवीय अधिकारों के हनन व मेरी छवि को धूमिल कर मुझे असहनीय प्रताडना देने की जांच कर न्याय दिलाने व आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् प्रार्थना पत्र पर की गई जांच की जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/185 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner